अध्याय VII: आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

7.1 कर्मचारियों को अनधिकृत भुगतान

किसी भी सहायक वैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के निर्देशों या प्रशासनिक मंत्रालय/ डीपीई की मंजूरी के बिना ''नवरत्न" दर्जे की उपलब्धि पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तिय लाभ दिए गए जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में ₹7.69 करोड का अनधिकृत भुगतान किया गया।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी/ प्रबंधन) को नवंबर 1960 में आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय (एमओएचयूए) के तत्वावधान में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। इसे 23 जून 2014 को भारत सरकार द्वारा "नवरत्न" का दर्जा दिया गया।

कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने अपनी 437वीं बैठक (31 जुलाई 2015) में "नवरत्न" दर्जे की उपलब्धि पर कंपनी के "नवरत्न" की दर्जे में उत्थान के स्वीकरण के टोकन के रूप में 23 जून 2014 को कंपनी के रोल पर नियमित कर्मचारियों को 01 अगस्त 2015 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की। 23 जून 2014 के बाद शामिल/ अलग होने वाले कर्मचारी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं थे।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी के रोल पर नियमित कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का निर्णय किसी भी सहायक वैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के निर्देशों या प्रशासनिक मंत्रालय/ डीपीई की मंजूरी के बिना था। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में ₹7.69 करोड़ का अनधिकृत भुगतान हुआ (समूह क और ख कर्मचारियों के लिए दिसंबर 2017 तक और समूह ग और घ कर्मचारियों के लिए मार्च 2018[1] तक गणना की गई)।

लेखापरीक्षा के बार-बार अनुरोध के बावजूद कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को देय अतिरिक्त वेतन वृद्धि के अनुदान के कारण बढ़े हुए परिलब्धियां और भत्ते के संबंध में कर्मचारियों के अनधिकृत भुगतान को प्रेषित/ प्रदान नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने अपने प्रतिउत्तर (दिसंबर 2018/ दिसंबर 2019) में बताया कि कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए, कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार करने ताकि उन्हें कंपनी के और अधिक उत्थान के लिए प्रेरित किया जा सके और कर्मचारियों के बीच

---

[1] *एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड में वेतन संशोधन के कार्यान्वयन की तिथि तक*

एनबीसीसी और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के वेतनमान के बीच भारी अंतर के कारण अशांति को रोकने के लिए, "नवरत्न" दर्जे की उपलब्धि पर उन्हें दिए गए अतिरिक्त वित्तीय लाभ उचित थे और इस तरह के भुगतान ने किसी भी डीपीई दिशानिर्देशों/ नियमों या किसी अन्य लागू नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

प्रबंधन का प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि "नवरत्न" की स्थिति की उपलब्धि पर कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय लाभ के भुगतान को, जिसे उस समय के लिए लागू किसी भी कानून/ नियम/ दिशानिर्देशों द्वारा अभीष्ट नहीं किया गया है, इस तरह के भुगतान को अनधिकृत माना जाएगा। इस मुद्दे पर, एमओएचयूए ने डीपीई से स्पष्टीकरण की मांग की और डीपीई के पत्र दिनांक 13 दिसंबर 2018 से स्पष्ट किया कि एनबीसीसी द्वारा अपने कर्मचारियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करना डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

इस अतिरिक्त वेतन वृद्धि को प्रदान करने में प्रबंधन की मनमानी कार्रवाई को इस तथ्य से भी जोड़कर देखा जाता है कि इस घटना से ठीक पहले कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी 435वीं बैठक (13 फरवरी 2015) में "नवरत्न" का दर्जा पाने पर कार्यकारी अधिकारियों और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को 23 जून 2014 से देय परिलब्धियां और भत्ते में 3-5 *प्रतिशत* की पूर्वव्यापी वृद्धि के लिए स्वीकृति दी थी। 26 नवंबर 2008 के डीपीई के का.ज्ञा के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई के निदेशक मंडल से भुगतान करने के लिए उनकी देयता के आधार पर वेतन संशोधन पर विचार करना और अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। हालांकि, लेखापरीक्षा को कंपनी को इन अतिरिक्त अनुलाभ और भत्तों को देने से पहले इस तरह के किसी भी प्रकार के अभ्यास के संचालन और इसके इसी प्रकार किसी सहायक सांविधिक प्रावधान, राष्ट्रपति के निर्देश या प्रशासनिक मंत्रालय/ डीपीई की मंजूरी का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

प्रबंधन ने इन अतिरिक्त अनुलाभ और भत्तों को सही ठहराया और बताया कि अन्य नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ असमानता थी। हालांकि, वृद्धि *प्रतिशत* मूल वेतन के **50** *प्रतिशत* की सीमा के अधीन थी, फिर भी, प्रबंधन ने बार-बार अनुरोधों के बावजूद निर्णय के वित्तीय निहितार्थ के विवरण को लेखापरीक्षा को नहीं दिया।

इस प्रकार, किसी भी सहायक वैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के निर्देशों या प्रशासनिक मंत्रालय/ डीपीई की मंजूरी के बिना "नवरत्न" दर्जे की उपलब्धि पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तिय लाभ दिए गए उसी के परिणामस्वरूप अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में ₹7.69 करोड का अनधिकृत भुगतान किया गया।

पैरा मंत्रालय को जनवरी 2020 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।